

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 350/2014 अंतर्गत धारा-75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00002)

अनवान:

1. तोलाराम पुत्र श्री चौथमल जाति ब्राह्मण निवासी पारीक
मौहल्ला, अंजनी चौक, नापासर जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार राज।

5.6.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित।
अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट
उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की
तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती
है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की
जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं
अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित
होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक
05.06.2024 को सुनाया गया।

9/6/24
(वन्दना सिधवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर